मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः 25.04.2024

थाना अहरौरा व एसटीएफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अनुमानित कीमत ₹ 45 लाख के अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त वाहन (डीसीएम-ट्रक) के साथ 02 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ , अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः 24.04.2024 को मुखबीर के सूचना के आधार थाना अहरौरा पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग कर डीसीएम ट्रक में सवार 02 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में अपना नाम-पता 1. राम सिंह पुत्र छेदी लाल सिंह निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ व 2. धर्मवीर सिंह पुत्र हरेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम बरी पोस्ट किच्छा थाना फुलवट्टा जनपद उधमपुर , उत्तराखण्ड बताया गया तथा डीसीएम ट्रक में कच्चे नारियल के पीछे छिपाकर गांजा रखा हुआ हैं। पुलिस टीम द्वारा ट्रक की तलाशी ली गयी तो डीसीएम ट्रक में कच्चे नारियल के पीछे छिपाकर रखा हुआ कुल 152 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-85/2024 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त डीसीएम ट्रक वाहन संख्याः UK04CC0626 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे उड़ीसा प्रान्त के रायगढ़ा से डीसीएम ट्रक में कच्चे नारियल के पीछे छिपाकर गांजा लादकर कानपुर ले जा रहे थे। जहां से मांग के अनुसार आसपास के जनपदों में सप्लाई करते हैं। जिससे प्राप्त पैसे को आपस में बांटकर भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. राम सिंह पुत्र छेदी लाल सिंह निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब-34 वर्ष।
2. धर्मवीर सिंह पुत्र हरेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम बरी पोस्ट किच्छा थाना फुलवट्टा जनपद उधमपुर, उत्तराखण्ड, उम्र करीब-30 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

- 152 किलोग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत ₹ 45 लाख)
- गांजा परिवहन में प्रयुक्त डीसीएम ट्रक वाहन संख्याः UK 04 CC 0626

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0स0-85/2024 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय —

अहरौरा टोल प्लाजा के पास से, दिनांकः24.04.2024 को समय 16.30 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक थाना अहरौरा-बृजेश सिंह मय पुलिस टीम।
उप-निरीक्षक रणेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज मय पुलिस टीम।